ग्राम पंचायत खड़ानाल, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश लेखाओं का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.17 से 31.03.18

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम -1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खड़ानाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधानः-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री मति सुमना देवी	1/4/2017 से 31/03/2018

सचिवः-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री दिनेश कोल	1/4/2017 से 31/3/2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत खड़ानाल जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातो के अन्तशेष मे अन्तर	3.56
2	8	अनुदान राशियों का अवरोधन	12.55
3	9	पंचायत राजस्व की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	0.09
4	17	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.78

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत खड़ानाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री शिव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10-12-18 से 15-12-18 तक ग्राम पंचायत खड़ानाल के कार्यालय में किया गया लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं ब्यय के लिये क्रमश: 06/2017 व 08/2017 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है I

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा I

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत खड़ानाल विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4000 बनता हैI उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को अतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-1 दिनांक-14-1218 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत खड़ानाल से अनुरोध किया गया I

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत खड़ानाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

1 स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2017-18	303784	135999	439783	91993	347790

2 अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2017-18	1681682	4054822	5736504	4481227	1255277

(अ) **कुल योग1 + 2 =347790+1255277=1603067**

नोटः-पंचायत द्वारा मनरेगा कि रोकड़ बही नहीं बनाई गई है तथा इसका आय-व्यय विवरण ऑनलाइन रिकॉर्ड से तैयार किया गया I

(ब) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत खड़ानाल द्वारा बैंक में जमा राशि का विवरण :-

Sr. No	Name of Bank	A/c No	Balance as on 31-3-18
1	KCC BANK BAIJNATH	16004974	611546.81
2	HDFC BANK BAIJNATH	50000678	23133.82
3	HDFC BANK BAIJNATH	50000695	368.18
4	HDFC BANK BAIJNATH	50000980	31485.00
5	HDFC BANK BAIJNATH	50000651	1060.46
6	HDFC BANK BAIJNATH	50000644	5304.14
7	HDFC BANK BAIJNATH	50000634	119726.00
8	HDFC BANK BAIJNATH	50000685	164669.00
9	HDFC BANK BAIJNATH	228981360	1001630.00
		Total	**1958923.41**

दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि के अन्तशेष में अन्तर (ब– अ) **1958923– 1603067 = 355856**

5 **बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹3.56 लाख का भारी अन्तर:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत खड़ानाल द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाक 31-03-18 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **₹355856** का अन्तररोकड़ वही मैँ कम शेष के रूप में है जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है I

अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे तथा इस अन्तर का अति शीघ्र मिलान किया जाये व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये !

6 **पंचायत निधि निजी बैंकों में जमा करने बारे : –**

जांच में पाया गया कि पंचायत के अधिकतर खाते निजी बैंक एच.डी.एफ़.सी. बैजनाथ में खोले गए थे जोकि वित विभाग के पत्र: संख्या Fin-(IF)-A 1-68/91-V दिनाँक 17.04.14 में दिये गये दिशा-निर्देशों की सरासर अवहेलना है । उक्त पत्र: में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी

संस्थाओं की अतिरिक्त राशि को-ओपरेटिव बैंक में निवेशित की जानी अपेक्षित थी। अत: पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार को- ओपरेटिव बैंक की नजदीक शाखा में पंचायत की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करें।

7 मनरेगा अनुदान की रोकड़बही तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत खड़ानाल द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार फार्म-14 में सामान्य नियमानुसार रोकड़ बही तैयार करना अनिवार्य है पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ बही तो तैयार की गई है, परन्तु मनरेगा की रोकड़ बही तैयार नहीं की जा रही है व आय व्यय विवरणी ऑनलाइन रिकॉर्ड से तैयार की गई जिससे कि न केवल आय-व्यय विवरण तैयार करने में मुश्किल आई परन्तु इसमें अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई हैI अतः नियमानुसार मनरेगा रोकड़ बही तैयार करना सुनिश्चित किया जाए I तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए I

8 अनुदान राशि ₹12.55 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹1255277 उपयोग हेतु थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के ब्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को ब्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.09 लाख का वसूली हेतु शेष

पंचायत की स्व-स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-18 निम्न विवरणनुसार ₹8400 (7400+1000) पंचायत राजस्व की वसूली शेष थी जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए I

9.1 गृहकर

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.18 को गृहकर के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹7400 की वसूली शेष थी:–

वर्ष	अथ शेष	माँग	योग	प्राप्ति	अंतिम शेष
2017-18	25950	25950	51900	44500	7400

9.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1000 की कम वसूली बारेः-

सयुंक्त निदेशक पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.2016 के अंतर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 (बीपीएल परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरांत व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 (बीपीएल परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूली जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत ने 30 दिन उपरांत निम्नलिखित विवाह पंजीकृत किए थे परंतु ₹400 (बीपीएल परिवार ₹50) की अपेक्षा ₹200 (बीपीएल परिवार ₹25) ही वसूले गए थे जिसके फलसवरूप पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹1000 के राजस्व की हानि हुई है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत द्वारा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये I

वर्ष	विवाह पंजि. रजिस्टर क्र.सं.	विवाह की तिथि	विवाह पंजीकरणकी तिथि	राशि जो वसूली जानी थी	राशि जो वसूली गयी	कम वसूली गयी राशि
2017-18	27	06-04-17	18-06-17	400	200	200
	28	05-07-17	14-08-17	400	200	200
	29	22-11-17	20-01-18	400	200	200
	01	02-12-17	30-01-18	400	200	200
	08	17-02-18	29-03-18	400	200	200
			योग	**2000**	**1000**	**1000**

10 वर्गीकृत सार तैयार न करनाः—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व ब्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा ब्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम

पंचायत खड़ानाल द्वारा इस के न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा ब्यय के आंकडों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुशिकल आई परन्तु साथ में आय ब्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्वादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का रख–रखाव किया जाए।

11 नियमानुसार निवेश न करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम11के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (surplusfunds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कारवाई करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के संदर्भ में प्रारूप 1 पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अत भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

12 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा ब्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट निर्धारित फार्म पर तैयार नही किया गया था।अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों के उपरान्त अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत खड़ानाल में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

14 पंचायत क्षेत्र मे स्थापित मोबाइल टावरों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना: –

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत क्षेत्र मे स्थापित मोबाइल टावर से शुल्क के रूप में वर्ष 2017-18 के दौरान ₹10000 की आय प्राप्त हुई परन्तु पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर व अन्य अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मोबाईल टावर शुल्क की दिनांक 31.03.18 को बकाया राशि की जांच नहीं की जा सकी I अतः अतिशीघ्र मोबाईल टावरों से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए I

वर्ष	अथ शेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2017-18	0	0	0	10000	0

15 रोकड़ बही से सीमेंट जारी करना :-

पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेंट को एम.ए.एस. (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर / सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से संबन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुन: रोकड बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियाँ की गई है । रोकड़ बही की जाँच में पाये गए कुछ प्रकरण नीचे दी गई तालिका में उद्धृत किए गए है । सीमेंट के लेखांकन का यह तरीका

नियमानुसार नहीं है I अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कारवाई की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र.सं.	**रो.व.पृ.सं.**	**दिनाँक**	**वाउचर सं0**	**बोरियाँ**	**प्रति बोरी मूल्य**	**कुल लागत**
1	76	02-06-17	21	55	286	15730
2	81	17-07-17	46	35	286	10010
3	81	17-07-17	47	100	286	28600
4	81	17-07-17	48	75	286	21450
5	87	31-08-17	70	352	311	109472
6	87	31-08-17	71	102	311	31722
7	87	31-08-17	72	20	311	6220
8	88	31-08-17	81	50	323	16150
9	14	26-03-18	140	78	323	25194
10	14	26-03-18	141	96	323	31008
11	14	26-03-18	142	110	323	35530
12	14	26-03-18	143	100	323	32300
13	14	26-03-18	144	80	323	25840
14	14	26-03-18	145	120	323	38760
					कुल योग	**₹427986**

16 नियमाविरुद्ध एक हजार से अधिक राशियों का नकद भुगतान करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम17 (1 व 2) के अनुसार रु 1000 तक का ही भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है तथा इस से अधिक का भुगतान अनिवार्यत: चैक द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान बहुत से भुगतान नकद रूप में किए गए प्रतीत होते है क्योंकि अधिकतर प्रकरणों में कई कई भुगतानों के लिए बैंक आहरण सामूहिक रूप से एक ही चैक द्वारा किया गया है जिससे स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नकद के रूप में किया गया था। अंकेक्षण जाँच के दौरान सामने आए ₹262379 के संभावित अनियमित नकद भुगतान के कुछ प्रकरण निम्न तालिका में

उद्गत किए गए है अत: नियमों के विपरीत नकद भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनाँक	खाता सं	चैक सं	आहरित राशि	आहरणकर्ता
1	14-6-17	16004974	767129	21462	श्रीमति रजनी देवी प्रधान
2	14-6-17	16004974	767130	20444	श्रीमति पवना देवी वार्ड सदस्य
3	14-6-17	16004974	767131	13080	श्रीमति सरला देवी वार्ड सदस्य
4	17-7-17	16004974	767138	20067	श्रीमति रजनी देवी प्रधान
5	31-8-17	16004974	771025	49400	श्रीमति रजनी देवी प्रधान
6	2-10-17	16004974	771035	52826	श्रीमति रजनी देवी प्रधान
8	13-10-17	16004974	771039	13000	श्रीमति रजनी देवी प्रधान
9	16-2-18	16004974	264492	4500	श्री अजय कुमार उप-प्रधान
10	16-2-18	16004974	264493	10000	श्री अजय कुमार उप-प्रधान
11	6-3-18	16004974	264496	26600	श्री अजय कुमार उप-प्रधान
12	28-3-18	50000634	0095	21600	श्रीमति रजनी देवी प्रधान
13	8-8-17	50000634	0011	9400	श्री अजय कुमार उप-प्रधान
			योग	**262379**	

17 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.78 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर कय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। चयनित मास के ब्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹177587 के स्टाक/स्टोर का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही किया गया था जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक का कय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का कय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त कय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

18 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
2 जल प्रभार रजिस्टर
3 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
4 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
5 डाक टिकट रजिस्टर
6 निवेश रजिस्टर
7 मोबाईल टावर रजिस्टर
8 वेतन व मानदेय रजिस्टर

19 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताये

1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही हैI

2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही हैI

3 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत सीटिंग फीस का भुगतान किया जाता है ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बधी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है I अत: इस नियम विरूद्ध की गई

कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये I

21 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहींकी गई है I

22 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख रखाव में हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है । यह बात पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस संदर्भ मे संबन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएँ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)222/2019 खण्ड–1–2052–2055 दिनांक 6.03.2019 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत खडानाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881